प्रेस विज्ञप्ति

10.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने 07/10/2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पीसीएफएस), मेसर्स ओपेरा ग्रुप, नॉर्वे की एक सहायक कंपनी के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत 252.36 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति पकड़ी गई है।

फेमा जांच से पता चला है कि पीसीएफएस, जिसका समग्र नियंत्रण चीनी लाभकारी मालिकों के पास था, अपने मोबाइल ऐप "कैशबीन" के माध्यम से भारत में जनता को पैसा उधार देने के कारोबार में लिप्त थी। पीसीएफएस द्वारा इसकी संबंधित विदेशी समूह कंपनियों को 'सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सेवाओं के आयात' की आड़ में 429.30 करोड़ रुपये (लगभग) की बड़ी राशि भेजी गई, जो फर्जी पाई गई। जांच के बाद भारत में पीसीएफएस की विभिन्न संपत्तियों को पकड़ा गया, जिसकी कुल कीमत 252.36 करोड़ रुपये थी, जो 2021 के दौरान पारित तीन जब्ती आदेशों के तहत फेमा की धारा 37ए के अनुसार थी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2022 के आदेश के अनुसार उक्त जब्ती आदेशों की पुष्टि की गई, जिसके विरुद्ध पीसीएफएस ने अपीलीय फोरम के समक्ष अपील दायर की है, जिस पर निर्णय लंबित है।

दिनांक 25.02.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरबीआई ने पाया कि पीसीएफएस अपने उधारकर्ताओं से ब्याज की अत्यधिक दर और अन्य शुल्क वसूल रहा था, इसके अलावा उधारकर्ताओं से वसूली के लिए रिजर्व बैंक और केंद्रीय जांच ब्यूरो के लोगो का अनधिकृत उपयोग कर रहा था, जो निष्पक्ष व्यवहार संहिता का घोर उल्लंघन है, इसलिए उसने पीसीएफएस का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने से रोक दिया।

21.06.2022 को, ईडी द्वारा पीसीएफएस और अन्य के खिलाफ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष फेमा की धारा 16 के तहत शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उन पर फेमा के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। शिकायत में, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त जब्ती आदेशों के तहत पकड़ी गई पीसीएफएस की संपत्तियों को जब्त करने की प्रार्थना शामिल थी।

प्रेस विज्ञप्ति

10.10.2024

शिकायत को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 22.06.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसका उन्होंने लाभ उठाया। हालांकि, नोटिस प्राप्तकर्ताओं में से एक, श्री झांग होंग, जो उल्लंघन अवधि के दौरान पीसीएफएस के तत्कालीन कंट्री हेड थे, ने न तो कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर लिया।

कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद न्यायनिर्णयन कार्यवाही पूरी कर ली गई है। नोटिस प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए कथित उल्लंघनों तथा उनके लिखित उत्तरों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए प्रस्तुतीकरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह पाया गया है कि कथित फेमा उल्लंघन स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुके हैं। तदनुसार, दिनांक 07.10.2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के अनुसार, भारत में स्थित पीसीएफएस की 252.36 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति, जिसे फेमा की धारा 37ए के अनुसार पकड़ा गया है, को जब्त करने का आदेश दिया गया है, साथ ही कुल 2146,48,26,480 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नोटिस प्राप्तकर्ता	**उल्लंघन की गई धाराएँ**	**उल्लंघन की राशि (समतुल्य भारतीय रुपया)**	**जुर्माने की राशि (समतुल्य भारतीय रुपया)**
1	फेमा की धारा 4	429,29,65,295.87	1287,88,95,880
1	फेमा की धारा 10 (6) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति, प्रत्यावर्तन और समर्पण) विनियम, 2015 के विनियम 6(1) के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19.06.2003 के एपी डीआईआर (श्रृंखला) संख्या 106 के पैरा ए-10.1 (ii) के साथ	429,29,65,295	429,29,65,300
2	फेमा की धारा 42 (1) के अनुसार प्रत्यधिकृत जिम्मेदारी	413,72,60,706	413,72,60,700
3	फेमा की धारा 42 (1) के अनुसार प्रत्यधिकृत जिम्मेदारी	15,57,04,589	15,57,04,600
	कुल जुर्माना	1287,88,95,885.87	2146,48,26,480

****

प्रेस विज्ञप्ति

10.10.2024